समाहरणालय, गोड्डा।

(जिला समाज कल्याण शाखा)

E-Mail Id- dswogodda@gmail.com, dswo-godda@jharkhandmail.gov.in

वन स्टॉप सेन्टर, गोड्डा में विभिन्न पदों के विरूद्ध सेवाएँ प्राप्त करने हेतु विज्ञापन

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वन स्टॉप सेन्टर योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजनान्तर्गत हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सखी–वन स्टॉप सेन्टर में एक ही छत के नीचे पुलिस सहायता, कानूनी सहायता एवं परामर्श, चिकित्सा सहायता, मनो–समाजिक परामर्ष, अस्थायी आश्रय इत्यादि उपलब्ध कराया जाता है।

गोड्डा जिला में इस योजनान्तर्गत एक सखी–वन स्टॉप सेन्टर स्थापित किया गया है। गोड्डा जिले के सखी–वन स्टॉप सेन्टर में विभिन्न सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिये व्यक्तिगत अहर्त्ता प्राप्त सेवा प्रदाताओं को अनुबंधित करने हेतु अहर्त्ता प्राप्त अभ्यर्थियों से निम्नांकित विवरणी अनुसार आवेदन आमंत्रित किये जाते है :–

क्र0 सं0	सेवा प्रदाता एवं पदों की संख्या	निर्धारित अर्हता	समेकित मासिक परिलब्धि
1	2	3	4
1	केन्द्र प्रषासक–01 (केवल महिलाओं के लिए)	**शैक्षणिक योग्यता :** किसी मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालय से सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर/किसी मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालय से विधि में स्नातक। **आवष्यक कार्य अनुभव :** किसी सरकारी अथवा गैर–सरकारी संस्था/परियोजना में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा जैसे मुद्दों पर कार्य करने का न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव। **वांछित कार्य अनुभव :** किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था/परियोजना में परामर्ष दात्ता के रूप में कार्य करने का न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव।	रू० 30,000/–
2	केस वर्कर–03 (केवल महिलाओं के लिए)	**शैक्षणिक योग्यता :** किसी मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालय से सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर/किसी मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालय से विधि में स्नातक। **आवष्यक कार्य अनुभव :** किसी सरकारी अथवा गैर–सरकारी संस्था/परियोजना में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा जैसे मुद्दों पर कार्य करने का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव।	रू० 20,000/–
3	परामर्ष दात्ता–01	**शैक्षणिक योग्यता :**	रू० 25,000/–

	(केवल महिलाओं के लिए)	किसी मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालय से सामाजिक कार्य/नैदानिक मनोविज्ञान (Clinical Psychology) में स्नातकोत्तर। **आवष्यक कार्य अनुभव :** राज्य स्तरीय इकाई/जिला स्तरीय क्लिनिक या किसी प्रतिष्ठित मानसिक स्वास्थ्य संस्था में परामर्ष दाता/मनोचिकित्सक के रूप में कार्य करने का न्यूनतम 03 वर्ष का कार्य अनुभव।	
4	**इनफोर्मेषन टेक्नोलॉजी वर्कर–01** (महिला/पुरुष के लिए)	**शैक्षणिक योग्यता :** किसी मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालय से कम्प्युटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक। **आवष्यक कार्य अनुभव :** राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय/गैर सरकारी संस्था या सूचना प्रौद्योगिकी आधारित संस्था में Data Management/ Process Documentation, Web based Reporting Formats एवं Video Conference विषयों पर कार्य करने का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव।	रू० 25,000/–
5	**बहु उद्देष्य सहायक–03** (केवल महिलाओ के लिए)	**शैक्षणिक योग्यता :** किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक उत्तीर्ण। **आवष्यक कार्य अनुभव :** सहायक/अनुसेवक के रूप में कार्य करने का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव।	रू० 10,000/–
6	**सिक्युरिटी गार्ड–03** (महिलाओं/पुरूषों के लिए)	**शैक्षणिक योग्यता :** किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक उत्तीर्ण। **आवष्यक कार्य अनुभव :** राज्य/जिला स्तर के सरकारी या प्रतिष्ठित संगठन में सुरक्षा कर्मी के रूप में कार्य करने का न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव।	रू० 10,000/–

उम्र सीमा :–

उम्र की गणना दिनांक–01.01.2021 से की जायेगी।

(क) अनारक्षित – 35 वर्ष
(ख) पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग – 37 वर्ष
(ग) महिला (अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग – 38 वर्ष
(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला) – 40 वर्ष

<u>आवेदन हेतु निर्देषः</u>

1. अहर्त्ताधारी योग्य अभ्यर्थी दिनांक–06.12.2021 तक अपना आवेदन JAP-IT झारखण्ड, राँची के Online वेबसाईट www.recruitment.jharkhand.gov.in पर समर्पित करेंगे।
2. ऑनलाईन आवेदन के साथ षैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्रों, अनुभव प्रमाण पत्रों की पठनीय प्रतियाँ स्व–अभिप्रमाणित कर Upload किया जाना अनिवार्य है।
3. बिन्दु–02 में अंकित प्रमाण–पत्र में से यदि कोई प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न नहीं है तो इसका लाभ अभ्यर्थी को नहीं मिलेगा। यद्यपि ऑनलाईन आवेदन के विहित प्रपत्र में इसे अंकित किया गया है।

4. शैक्षणिक योग्यता के अन्तर्गत मैट्रिक से प्रारंभ कर अद्यतन योग्यता अंकित की जाये एवं संबंधित प्रमाण–पत्र अपलोड किया जाये।
5. कार्य–अनुभव के लिए नियोक्ता (Employer) के द्वारा निर्गत एवं हस्ताक्षरित पत्र/प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा। तदनुसार कार्य–अनुभव से संबंधित पत्र/प्रमाण–पत्र की प्रतियाँ Upload करना अनिवार्य होगा।
6. सेवाओं के लिए योगदान की तिथि से यह अनुबंध 01 वर्ष के लिए होगा, तत्पष्चात सेवा अवधि का विस्तार सेवा प्रदाता के संतोषप्रद कार्य प्रदर्षन तथा योजनान्तर्गत कार्य की आवष्यकता के आधार पर की जायेगी।

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी,
गोड्डा।

उप विकास आयुक्त,
गोड्डा।